

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

जी.बी.यू.-029/प्रशा./अधि.प्र./43/2024-1534

दिनांक 10 मई, 2024

:: कार्यालय-आदेश ::

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में Institutional Development Plans (संस्थागत विकास योजनाएं) तैयार करने एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। Institutional Development Plans के द्वारा शैक्षिक और अनुसंधान उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के लिए सक्षम स्तर द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। गठित समिति इस प्रकार है:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. समस्त अधिष्ठातागण/प्रभारी अधिष्ठातागण | ... सदस्य |
| 2. निदेशक (कार्य) | ... कोऑर्डिनेटर |
| 3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (कार्य) | ... सदस्य |

गठित समिति UGC Guidelines for Institutional Development Plan for Higher Education Institutions (HEIs) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रत्येक 15 दिनों के अन्तराल पर सन्दर्भित प्रकरण की प्रगति आख्या से मा०कुलपति महोदय को अवगत करायें।

(डॉ० विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. मा० कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त संकाय अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठातागणों को सूचनार्थ
3. गठित समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
4. अधिष्ठाता शैक्षिक को सूचनार्थ।
5. अधिष्ठाता, शोध एवं नियोजन को सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, सूचनार्थ।
7. सिस्टम मैनेजर को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की बैचसाइड पर अपलोड करवायें।


कुलसचिव